न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

2018-00293Jodhpur225RTA2018-130 Suvadevi etc Vs State of Rajasthan

---

01. श्रीमती सुआदेवी पत्नि स्व. श्री अमानराम
02. कानाराम पुत्र स्व. श्री अमानराम
03. बुद्धाराम पुत्र स्व. श्री अमानराम
04. चैनाराम पुत्र स्व. श्री अमानराम
05. सुखाराम पुत्र स्व. श्री अमानराम
06. भानाराम पुत्र स्व. श्री अमानराम समस्त जातियान् राईका, निवासी- ग्राम झंवर, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

..... अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लूणी, जोधपुर

..... रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर लूणी दिनांक 15 जुलाई 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 265/2017 अमानराम व अन्य बनाम सरकार

------- 0 -------

उपस्थित --

श्री धनपत चौधरी, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो.

नि र्ण य

दिनांक : 05 अक्टूबर 2021

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर, लूणी द्वारा पारित आदेश संख्या 265/2017 दिनांक 15 जुलाई 2017 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत अदालत हाजा के समक्ष यह अपील दिनांक 02 अगस्त 2018 को प्रस्तुत की है।

अपील के साथ प्रार्थना पत्र बाबत अपील पेश करने की अनुमति एवं भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया। जिसके आधार पर अपील अनुमति एवं मियाद के बिंदु को सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गयी।

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण अमानराम पुत्र राणाराम, राजूराम पुत्र मंगलाराम, अमानराम पुत्र राणाराम, धनाराम पुत्र बिजाराम के रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थनापत्र एवं पटवारी हळका झंवर व भू-अभिलेख निरीक्षक झंवर, उपतहसीलदार झंवर की जांच रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लूणी कैम्प कोर्ट लूणी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व ग्राम झंवर में स्थित निम्नलिखित आराजियात में से उनके खसरा नम्बर के आगे अंकित रकबा गैर मुमकिन रास्ते हेतु सहमति से छोडा गया रकबा मानते हुए तदनुसार राजस्व रिकार्ड में गैरमुमकिन रास्ते के रूप में अमल-दरामद किये जाने तथा राजस्व नक्शे में मूल खसरान की भूमि में से कम करते हुए तरमीम की जाकर तदनुसार अभिलेख संधारित किये जाने का आदेश पारित किया--

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

क. सं.	गांव का नाम	दर्ज खातेदार का नाम मय पिता का नाम	खसरा संख्या	रकबा जो गैरमुमकिन रास्ता दर्ज होगा
1	केरली	अमानराम पुत्र राणाराम	972	0.17.10
2	केरली	राजूराम पुत्र मंगलाराम	969	1.17.00
3	केरली	अमानराम पुत्र राणाराम	1093	0.03.00
4	केरली	धनाराम पुत्र बिजाराम	1092/1	1.06.00

उक्त आदेश के खिलाफ अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील पेश की है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गौर किए बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट्स की कृषि भूमि खसरा नं. 972 एवं 1093 में दिनांक 15.07.2017 को गैर मुमकिन रास्ते हेतु क्रमश 17 बिस्वा 10 बिस्वांशी एवं 03 बिस्वा भूमि दर्ज किये जाने का आदेश अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पारित कर भारी भूल की है, जबकि अपीलांट्स के पति/पिता की दिनांक 07.05.2014 को मृत्यु हो जाने की अवस्था में मृतक अमानाराम की ओर से कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, न ही मृतक के विधिक उत्तराधिकारी अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर खारिज किये जाने के योग्य है। अपीलाधीन आदेश के अवलोकन से लगता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बगैर ही दिनांक 15.07.2017 को हल्का पटवारी झंवर, भू-अभिलेख निरीक्षक झंवर तथा नायब तहसीलदार लूणी द्वारा प्रपत्र 1

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड की जांच रिपोर्ट के आधार पर आदेश पारित किया गया, जो कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश के द्वारा ग्राम केरली के अपीलांट्स के खसरान के संबंध में रास्ते का आदेश पारित किया गया है, अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है अपीलाधीन आदेश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंकित तालिकानुसार खातेदारान द्वारा आम रास्ते हेतु सहमति से रकबा छोडा हुआ होना भी दर्शाया गया है, जबकि ऐसी कोई सहमति अपीलांट्स द्वारा नहीं दी गयी है। अपीलांट्स के पिता का अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने से 3 वर्ष पूर्व ही देहांत हो चुका था, सहमति पत्र पर फर्जी अंगुष्ठ निशान लगाये गये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत किसी भी खातेदार काश्तकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसकी खातेदारी की कृषि भूमि में से रास्ता प्रदत्त नहीं किया जा सकता है। आलौच्य मामले में अपीलाण्ट्स उक्त खसरान नम्बरान के रिकार्डेड खातेदारान है, किन्तु उन्हें अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गयी और सुनवाई का भी कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके पर रास्ता चालू माना गया है, जिसका कोई आधार अथवा मौके की वास्तविक एवं विस्तृत रिपोर्ट संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं हळका पटवारी से तलब की जाकर अभिलेख पर नहीं ली गयी है।

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स प्रार्थना पत्र बाबत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति एवं धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में उन्हें पक्षकारान बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, अतः अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में उन्हें कोई जानकारी नहीं हो पायी। अपीलांट्स विवादग्रस्त आराजी के हितबद्ध, प्रभावित एवं आवश्यक पक्षकार है। इसलिए अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुना जाना न्याय हित में आवश्यक है। अतः अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि मियाद-प्रार्थनापत्र अस्पष्ट और अपूर्ण है। अतः उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट्स मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने के काबिल है। अपील के गुणावगुण पर बहस करते हुए राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया गया है, अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपीलांट्स विवादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार काश्तकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट्स को प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये बिना तथा उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पुराने राजस्व रेकर्ड के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। अपीलांट्स के प्रकरण में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। इसलिए प्रार्थना पत्र बाबत

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील प्रस्तुत करने की अनुमति स्वीकार किया जाकर अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, चूंकि अपीलाण्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान नहीं थे, इस कारण उन्हें अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही एवं अपीलाधीन आदेश बाबत समुचित समय में जानकारी नहीं होना स्वभाविक है। अतः अपीलाण्ट्स की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम में वर्णित तथ्यों एवं अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स द्वारा इस संबंध में की गयी बहस पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अपीलाण्ट अन्दर मियादशुमार की जाती है।

गुणावगुण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का आम रास्ते हेतु उपयोग करने बाबत **सहमति दिये जाने संबंधित सहमति पत्र अथवा रास्ता प्रदत्त किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सहमति पत्र पर अपीलांट्स के पिता अमानराम के नाम से अंगुष्ठ निशान किये हुए है, किंतु अपीलांट के द्वारा स्व. अमानराम के मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार स्व. अमानराम की मृत्यु दिनांक 07.05.2014 को हो चुकी है।** यही नहीं, अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता हेतु प्रयुक्त विभिन्न खसरा नम्बरान व उनके खातेदारान की जो तालिका उक्त आदेश में अंकित की गयी है, उसमें **वर्णित खसरा नम्बरान के रिकार्डेड सभी खातेदारान को अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पहले पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है तथा न ही आवेदकों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से भरे हुए**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

है। अपीलांट की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत किया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नही पाया जाता है। अपीलाधीन आदेश स्पष्टतः मृतक (अपीलांट के पिता) व्यक्ति के विरुद्ध पारित किया गया है, जो विधि की दृष्टि में कोई मायने नहीं रखता। इसलिए अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों के विपरीत धारा 251-क की परिधि में नहीं आने एवं विधिसम्मतः नहीं होने से यथावत रखे जाने लायक नहीं है।

उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर, लूणी द्वारा पारित आदेश संख्या 265/2017 दिनांक 15 जुलाई 2017 अपास्त किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

5/X/2021

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर